

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - काण्डा मानसिंह

तहसील - डीडीहाट

जिला - पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड डीडीहाट में RoW permission for laying

Optical Fiber Cable from मोगला - अरकोट - नारायण नगर - धारचूला (Total

Length 60.9 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.609 है 0 वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत काण्डा मानसिंह द्वारा दिनांक 27/4/2011 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काण्डा मानसिंह के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.609 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) के पक्ष भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

मानसिंह
सदस्य
क्षेत्र पंचायत सत्यालगांव
वि०ख० डीडीहाट (पिथौरागढ़)

प्रधान
ग्राम पंचायत काण्डा मानसिंह
वि०ख० डीडीहाट (पिथौरागढ़)

हेमन्ती देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
क्षेत्र पंचायत-खेतार कन्वाल
वि०ख० डीडीहाट (पिथौरागढ़)
विनोद मोहन
सदस्य
क्षेत्र पंचायत-चौसाल
वि० ख०-कनालीछीना(पिथौरागढ़)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - ओगला

तहसील - डीडीहाट

जिला - पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड डीडीहाट में RoW permission for laying

Optical Fiber Cable from ओगला - अस्कोट - नारायण नगर - धारचूला (Total Length 60.9 Km)

तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.609 है। वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ओगला द्वारा दिनांक 23/4/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ओगला के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.609 है। वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) के पक्ष भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

मानु जलपु रिट
सदस्य
क्षेत्र पंचायत सत्यालगांव
वि०ख० डीडीहाट (पिथौरागढ़)

हेमन्ती देवी

क्षेत्र पंचायत सदस्य
क्षेत्र पंचायत-खेतार कन्वाल
वि०ख० डीडीहाट (पिथौरागढ़)

पिथौरागढ़ जिला
सदस्य

क्षेत्र पंचायत-चौसाल
वि० ख०-कनालीछीना (पिथौरागढ़)

Rupa
प्रधान

ग्राम पंचायत- ओगला
वि०ख० डीडीहाट (पिथौरागढ़)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - देवल

तहसील - डिडीहाट

जिला - पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना में RoW permission for laying

Optical Fiber Cable from ओगावा - अस्कोट - नारायण नगर - धारचूला (Total Length 60.9 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.609 है।

वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत देवल द्वारा दिनांक 28/4/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम देवल के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.609 है। वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) के पक्ष भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

मानु ज्ञान सिंह

सदस्य
क्षेत्र पंचायत सत्यालगांव
वि०ख० डिडीहाट (पिथौरागढ़)

हेमन्ती देवी

क्षेत्र पंचायत सदस्य
क्षेत्र पंचायत-खेतार कन्वाल
वि०ख० डिडीहाट (पिथौरागढ़)

पिनेश्वर नारायण
सदस्य

क्षेत्र पंचायत-चौसात
वि०ख०-कनालीछीना (पिथौरागढ़)

प्रधान
ग्राम पंचायत देवल (अस्कोट)
वि०ख०-कनालीछीना (पिथौरागढ़)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - खोलिया गाँव

तहसील - डीडीहाट

जिला - पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीडीना में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from जोगिया - डरबौर नारायण नगर डरबौर Total Length (Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि... 0.609 है 0 वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खोलिया गाँव द्वारा दिनांक 28/4/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खोलिया गाँव के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.609 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) के पक्ष भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर

क्षेत्र पंचायत सदस्य
क्षेत्र पंचायत-खेतार कन्वाल
वि०ख० डीडीहाट (पिथौरागढ़)

हस्ताक्षर प्रधान
ग्राम पंचायत खोलिया गाँव
वि०ख०-कनालीडीना(पिथौरागढ़)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - जे. धारचूला

तहसील - धारचूला

जिला - पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला में RoW permission for laying

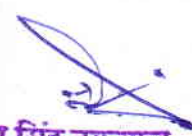
Optical Fiber Cable from
ओमला - अस्कोट - ज्ञानमणनगर - धारचूला (Total Length 6.09 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.609

है। वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जे. धारचूला द्वारा दिनांक 28/4/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जे. धारचूला के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.609 है। वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) के पक्ष भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


प्रेम सिंह नगन्याल
सदस्य

क्षेत्र पंचायत दुर्ग
वि० ख० धारचूला (पिथौरागढ़)


मनोज सिंह
सदस्य क्षेत्र पंचायत 07- बौन
वि० ख० धारचूला (पिथौरागढ़)



वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - कालिका

तहसील - धारचूला

जिला - पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from ओगला-आक्कोट-नरामना-गो-धारचूला (Total Length 60.9 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.609 है 0 वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कालिका द्वारा दिनांक 28-4-2021 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कालिका के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.609 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) के पक्ष भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रमुख गवाल
सहायक प्रमुख
वि. 0-धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रेम सिंह नगन्याल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत दुग्ध
वि. 0 ख. 0 धारचूला (पिथौरागढ़)



वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - माही नचावरी

तहसील - धारचूला

जिला - पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from ओपला डारकी रोड अनापत्ति नगर (Total Length 60.9 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.609 है 0 वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत माही नचावरी द्वारा दिनांक 30/04/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम माही नचावरी के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.609 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) के पक्ष भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

मनोजे सिंह गवाल
सदस्य, ग्राम पंचायत 07- बौन
वि० २००-२००००० (पिथौरागढ़)

शेख सिंह नमन्याल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत दुगू
वि० २००० धारचूला (पिथौरागढ़)



वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बौन (भल्ला ढरडूम)

तहसील - धारचूला

जिला - पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला में RoW permission for

laying Optical Fiber Cable from डोगला सेस्को नगरपालिका संप्रदाय (Total

Length 60.9 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि....

0.609 है 0 वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बौन भल्ला ढरडूम द्वारा दिनांक 30/04/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भल्ला ढरडूम के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.609 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) के पक्ष भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

मनोज सिंह खाल
सदस्य
वि. 00-धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रेम सिंह नगन्याल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत दुगू
वि. 00 धारचूला (पिथौरागढ़)



वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - धारदुम

तहसील - धारचूला

जिला - पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from औराला-अस्कोट-नारायणनगर-धारचूला (Total Length 60.9 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.609 है 0 वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारदुम द्वारा दिनांक 30/04/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धारदुम के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.609 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) के पक्ष भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

मनोज सिंह ग्वाल
सदस्य क्षेत्र पंचायत 07- बौन
वि०ख० धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रेम सिंह नगन्याल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत दुग्गू
वि०ख० धारचूला (पिथौरागढ़)



वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - दुग्गातौली

तहसील - धरमचूला

जिला - पिबौरा

उत्तराखण्ड में जनपद पिबौरा के विकास खण्ड धरमचूला में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from अमला-अमला-नामदा-नामदा-धरमचूला (Total Length 60.9 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.609 है 0 वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुग्गातौली द्वारा दिनांक 30/4/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दुग्गातौली के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.609 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) के पक्ष भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - किमखोला

तहसील - धारचूला

जिला - पिपौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिपौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from मोगला-अहोद-जवाभरा-नगर-धारचूला (Total Length 6.09 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.609 है 0 वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत किमखोला द्वारा दिनांक 30/4/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम किमखोला के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.609 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) के पक्ष भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

